तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27/3/26	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित। बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील अपीलांट ने कथन किया कि अपीलांट कांतिबाई पुत्री कान्हा जाति मेघ निवासी निमोदा तह. रा.मण्डी के पिता कान्हा s/o गणेश के कब्जे काश्त व खाते की भूमि ग्राम निमोदा तहसील रा.मण्डी पुराना ख.नं. 174, 175, 513, 808, 534 कुल किता-5 की 14 बीघा, व ख.नं. 174 की 0.66 है० नये खसरा नम्बरान 232, 233, 234, 736, 739, 775 कुल किता-6 की कुल रकबा 2.28 है० भूमि शामलाती थी। जिसमें अपीलांट के पिता कान्हा का हिस्सा 1/2 व नाथू दिया का हिस्सा 1/2 है। अपीलांट के पिता कान्हा के फौत होने के बाद उनके विधिक वारिसान की जानकारी बिना ही, प्रार्थिया/अपीलांट के पिता कान्हा को लावारिस (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी जिला कोटा (राज.)	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व [illegible] अहकाम [illegible] हुक्म की [illegible] में जारी [illegible]
	धन्ना मानका भील के लड़के नन्दा के नाम इन्तकाल संख्या 97 दिनांक 25/08/1972 सरपंच ग्राम पंचायत [illegible] ने तस्दीक कर दिया। जबकि नन्दा द्वारा इस प्रकार का कोई गोदनामा प्रस्तुत नहीं किया गया था। अपीलांट के पिता ने अपने जीवनकाल में नन्दा को कभी गोद नहीं लिया है। अपीलांट मृतक कान्हा का वारिस हुआ था नामा० भी अपीलांट के नाम पर ही तस्दीक किया जाना था। नन्दा के पिता द्वारा उसकी हिस्से 1/2 की भूमि का पूर्व में ही बेचान कर दिया था। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर नामा० नं० 97 दि० 25/8/1972 को निरस्त कर मृतक कान्हा के विधिक वारिसान के नाम का नामान्तरण तस्दीक किये जाकर अपीलांट को उक्त आराजी में हिस्सा 1/2 की खातेदारी उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी जिला कोटा (राज.)	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	घोषित किया जावे। इसके विपरीत वकील प्रत्यर्थी द्वारा अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम पंचायत कलौड़ द्वारा जारी पट्टानाल [?] करने के उपरान्त भी इन्तकाल नं. 97 दि. 25/8/1972 तसदीक किया गया है अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे। हमारे द्वारा बाद बहस पत्रावली का यथोपरान्त अवलोकन किया गया। अपीलांट द्वारा ग्राम पंचायत कलौड़ द्वारा खोला गया इन्तकाल नं. 97 को निरस्त दि. 28/8/1972 को निरस्त करने [?] का नये सिरे से खोले जाने बाबत का इन्तकाल खुलवाने का निवेदन किया गया है। पत्रावली में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत की गई दस्तावेजात नकल नामान्तरण पंजिका ग्राम निमोदा तह. रा. मंडी से यह स्पष्ट प्रकट होता है Che उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी जिला कोटा (राज.)	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	है कि ग्राम पंचायत कलोड़ द्वारा तसदीक दि: 25/8/1972 को कान्हा व इसकी औरत के फौत होने की दशा में उनके कोई औलाद नहीं होने का प्रकट करते हुए उनके भाई के लड़के नन्दा को गोद~~नामा~~ उक्त मान कर रेस्पो. नन्दा के हक में नामान्तरण सं. 97 तसदीक किया गया है। यह प्रविष्टि केवल मौखिक कथनमात्र पर ही लिखी गई है कोई दस्तावेजी साक्ष्य ग्राम पंचायत ने लिये हो, ऐसा कोई उल्लेख यहां पर मौजूद नहीं है। अत: गुणावगुण के आधार पर अपील अपीलांट [illegible] स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत कलोड़ द्वारा तसदीक किया गया नामान्तरण संख्या 97 दि. 25/08/1972 खारिज किया जाता है। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी जिला कोटा (राज.)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	साथ ही तहसीलदार रा.मण्डी को आदेश दिये जाते हैं कि बाबत भूमि ग्राम निमोदा तह० रा.मण्डी ख.नं. 17, 175, 513, 508, 534 कुल किता-5 की 14 बीघा, ख.नं. 174 की 0.66 हे० नाराजी तथा ख.नं. 232, 233, 234, 736, 739, 775 कुल किता-6 की रकबा 2.28 हे० के मृत खातेदार रेट कान्या पुत्र गणेश के वैध वारिसान की पुनः नये सिरे से जांच कर उसके वैध वारिसान [जैविक संतान] के नाम इन्तकाल तस्दीक करें। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद अमल दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दि० 27/3/2026 को सुनाया गया। चारु [I.A.S.] उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी जिला कोटा (राज.)	